तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मधुसूदन बनाम हरिसिंह वगै.	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...
5/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र प्राप्त स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद की जाकर होकर दाखिल दफ्तर हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 113/2024

1. मधुसूदन पुत्र मिश्रीलाल जाति बागरी ब्राह्मण निवासी पिचूना तहसील उच्चैन।
...................प्रार्थी

वनाम

1. हरीसिंह
2. राजन पुत्रान घीसा राम
3. किशन
4. रोहिताश पुत्रान भूरी सिंह
5. भगवान सिंह
6. फत्ते पुत्रान टीकम
7. नरेश पुत्र बच्चू सिंह
8. विमला पत्नि बच्चू सिंह
9. पॉचो पत्नि अमर
10. भगवान
11. विष्णु पुत्रान अमर समस्त जातियान काछी निवासी पिचूना तहसील उच्चैन।
.................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री नरेन्द्र पाल एडवोकेट अप्रार्थीगण

दिनांकः—05.02.2025

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1530/0.24,1529/0.01 है0 वाके ग्राम पिचूना तहसील उ[illegible]स्थित है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के पूर्वजों की छोडी हुई जायदा[illegible] उपभोग वादी पिता के जीवन काल से लेकर आज बिना कि[illegible] आ रहे है विवादित आराजी से वादी के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का किसी भी प्र[illegible]र से आज तक किसी भी हैसियत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:41 IST
Reason: SelfAttested

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। प्रार्थी दिनांक 30.06.2022 को अपने पिता की छोडी गई जायदाद की देख रेख

कर रहा था तभी अप्रार्थीगण मौके पर आ गये और आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहा लेकिन वादी के विरोध के कारण उस रोज प्रतिवादीगण अवैध रूप से जबरन कब्जा करने में सफल नहीं हो सके है लेकिन प्रतिवादीगण जाते वक्त यह धमकी दे गये है कि जब भी मौका मिल जावेगा उस समय कब्जा कर आराजी पर कच्चा पक्का निमार्ण कर लेंगे और तुम्हें आराजी से बेदखल कर देंगे जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द पाल ने उपस्थित होकर जबाव हेतू समय चाहा। दिनांक 03.01.2023 को अप्रार्थीगण का जबाव बंद किया गया।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के पूर्वजों की छोडी हुई आराजी है एवं असी समय से इसकी पुरानी कायम डोर मेड के हिसाब से ही प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। चुंकि अप्रार्थीगण बाहुबली एवं बहुमत वाले लोग है एवं प्रार्थी वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति है जिसके कारण अप्रार्थीगण का मुकाबला करना संभव नहीं है इसी का लाभ उठाते हुये दिनांक 30.06.2022 को अप्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी के तरफ दक्षिण सीमा को नष्ट करके मेरी आराजी में जबरन घुस गया मेरे विरोध करने पर अन्य लोगों के दखल करने पर भाग गए परन्तु मुझे उस स्थान पर काश्त करने नहीं दे रहे है जबकि अप्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभापक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के आराजी के बगल में हम अप्रार्थीगण की आराजी है मौके पर प्रार्थी का रकबा पूरा है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को कई बार पैमाइश करवाने हेतु बोला गया है लेकिन प्रार्थी पैमाइश नहीं करवाना चाहता। प्रार्थी द्वारा डौल मेडों पर कब्जा वाली बात गलत दर्ज कराई गई है। अगर अप्रार्थीगण ने कब्जा किया है तो प्रार्थी के द्वारा वादपत्र कब्जा वापिसी हेतु लाया जाना चाहिये था। केवल यह कह देना कि कब्जा कर लिया है तर्कसंगत नहीं है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड [illegible] किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु [illegible] आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी [illegible] रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी [illegible] हक निहित है एवं अप्रार्थीगण का उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:41 IST
Reason: SelfAttested

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (भरतपुर)

विवादित आराजी से राजस्व रिकार्ड के मुताबिक कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में रिकार्डेड सहखातेदार होने के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाना चाहा है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी सीमाओं एवं मौके आदि में परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के पश्चात वादी के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा बताया गया कि अप्रार्थीगण बहुमत वाले लोग है एवं प्रार्थी वृद्ध असहाय व्यक्ति है जिसका फायदा उठाते हुये अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी की डौल मेड़ों को तोडकर जबरन कब्जा करना चाह रहे है संख्या। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी में विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति को बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1530/0.24,1529/0.01 है0 वाके ग्राम पिचूना तहसील उच्चैन में मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.02.202[illegible] [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:41 IST
Reason: SelfAttested

Bharti
भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर